उत्तर पश्चिम रेलवे

मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर

08

दिनांक 19.09.2025

No. 1 AT/Safety/Safety Circular/JU/2025/08

जोधपुर मंडल के सभी अधिकारी, स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, रेल पथ निरीक्षक, संकेत निरीक्षक, मुख्य गाड़ी निरीक्षक/सवमा, सभी मुख्य नियंत्रक, सभी प्रशिक्षक प्रशिक्षण स्कूल, गार्ड व चालक व सभी संबंधित कर्मचारी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 08/2025

विषय: फाटक संचालन के सम्बन्ध में संरक्षा परिपत्र ।

(A) इंजीनियरिंग समपार गेट, गैर अन्तर्पाशित, जिनमें टेलीफोन की सुविधा हो, सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए बंद हो, के लिए गेट संचालन अनुदेश: -

प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदानः

(i) गेटमैन, गेट खोलने के लिए स्टे मास्टर से अनुमति अवश्य प्राप्त करेगा।

(ii) सडक यातायात के लिए बन्द सामान्य स्थिति वाले समपार फाटको परं यदि सड़क यातायात को गुजरने के लिए फाटक खोलने की आवश्यकता है, तो गेटमैन स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करेंगें। और सुनिश्चित करेगा कि उसके फाटक से पूरी गाड़ी गुजर चुकी है। इसके पश्चात स्टेशन मास्टर गेटमैन को फाटक खोलने की अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन में कोई अन्य गाड़ी को भेजने या लाइन क्लियर देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक सड़क यातायात के लिए बन्द है और प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के माध्यम से गेटमैन का आश्वासन ले लिया गया है।

(iii) स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी सिगनल रजिस्टर / केबिन ऑपरेशन रजिस्टर, प्राइवेट नंबर बुक तथ लॉग बुक में लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टियाँ करेगा।

(iv) सड़क यातायात के गुजर जाने के बाद, गेटमैन गेट बंद कर देगा और प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतगर्त स्टेशन मास्टर को इस बात की पुष्टि करेगा।

(v) ब्लॉक सेक्शन में दोबारा किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले, स्टेशन मास्टर यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि गेटमैन द्वारा गेट बंद कर दिए जाने के प्रमाण के रूप में उससे प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है।

(vi) सडक यातायात के लिए गेट एक बार बंद किये जाने के बाद फिर किसी भी हालत में तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर के द्वारा ऐसा प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता।

(B) इंजीनियरिंग समपार गेट, गैर अंतर्पषित जिनमें टेलीफोन की सुविधा हो, सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला हो, के लिए संचालन अनुदेश

(क) जब गेट गाड़ी के प्रस्थान सिरे पर स्टेशन से जुडा हुआ होः

(i) गाडी के प्रस्थान सिरे का स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/ केबिनमैन दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन/ केबिनमैन को प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत गाड़ी संख्या, विवरण, दिशा तथा गेट से गाड़ी के गुजरने का संभावित समय सूचित करेगा।

(ii) ऐसी सूचना प्रस्थान सिगनलों को ऑफ करने अथवा लोको पायलट को प्रस्थान प्रधिकार देने से पहले दी जायेगी।

(iii) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर गेट मैन समय रहते गेट बंद कर देगा और प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत इसकी पुष्टि करेगा।

(iv) स्टेशन मास्टर/स्विचमैंन/ केबिनमैन, गेटमैन का प्राइवेट नंबर प्राप्त करने के बाद प्रस्थान सिगनलों को झुकायेगा।

(V) इकहरी लाइन पर सडक यातायात के लिए खुले सामान्य स्थिति वाले गैर अंतर्पाशित समपार गेटों पर, गेटमेन पूरी गाड़ी गेट पर से गुजर जाने के बाद टेल बोर्ड / टेललैम्प को देखकर समपार फाटक को खोलने के लिए अधिकृत होगा।

(vi) दोहरी लाइन पर सड़क यातायात के लिए खुले सामान्य स्थिति वाले गैर अंतर्पाशित समपार गेटों पर. गटे मैन पूरी गाडी गेट पर से गुजर जाने के बाद टेल बोर्ड / टेललैम्प को देखकर समपार गेट को खोलने लिए केवल तभी अधिकृत होगा जबकि स्टेशन मास्टर ने प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के तहत गेटमैन को उसी दिशा से या दूसरी दिशा से किसी अन्य ट्रेन के लिए फाटक बंद रखने की सूचना नहीं दी हो।

(ख) जब गेट आगमन सिरे के स्टेशन से जुड़ा हुआ हो:

(i) गाडी के प्रस्थान सिरे का स्टेशन मास्टर / स्विचमैन / केबिनमैन दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर / स्विचमैन /केबिनमैन को प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत गाड़ी संख्या, विवरण, दिशा तथा गेट से गाड़ी के गुजरने का संभावित समय सूचित करेगा।

(ii) ऐसी सूचना लाइन क्लीयर होने की सूचना से पहले दी जाएगी।

(iii) आगमन सिरे का स्टेशन मास्टर/ स्विचमैन /केबिनमैन, प्राइवेट नवर के आदान-प्रदान के अंतर्गत आगे गेटमैन को यही सूचना देगा।

(iv) गेटमैन गेट बंद कर देगा तत्पश्चात स्टेशन मास्टर / स्विचमैन /केबिनमैन को अपने प्राइवेट नंबर देगा।

(v) उसके बाद ही आगमन सिरे का स्टेशन मास्टर / स्विचमैन / केबिनमैन प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर / स्विचमैन /केबिनमैन को लाइन क्लीयर देगा।

(vi) इकहरी लाइन पर सड़क यातायात के लिए खुले सामान्य स्थिति वाले गैर अंतर्पाशित समपार गेटों पर, गेटमैन पूरी गाड़ी गेट से गुजर जाने के बाद टेलबोर्ड / टेललैम्प को देखकर समपार गेट को खोलने के लिए अधिकृत होगा।

(vii) दोहरी लाइन पर सड़क यातायात के लिए खुले सामान्य स्थिति वाले गैर अंतर्पाशित समपार गेटों पर, गेटमेन पूरी गाड़ी गेट पर से गुजर जाने के बाद टेल बोर्ड /टेललैम्प को देखकर समपार गेट को खोलने के लिए केवल तभी अधिकृत होगा जबकि स्टेशन मास्टर निजी नंबर के आदान-प्रदान के तहत गेटमैन को उसी दिशा से या दूसरी दिशा से किसी अन्य ट्रेन के लिए फाटक बंद रखने की सूचना नहीं दी हो ।

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे.जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे. प्रबन्धक व अ. म.रे. प्रवन्धक को सादर सूचनार्थ